

राष्ट्रगो माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (५०५०) के समक्ष

R-2809-PBR114

धन्नालाल पिता रामकिशन
उम्र ६५ साल, धन्धा खेती
निवासी ग्राम माचल, तहसील देपालपुर,
जिला इन्दौर

470
प्रार्थी
-- प्राथी

विरुद्ध

१- परमानन्द पिता रामकिशन
उम्र ७५ वर्ष, धन्धा वृद्धावस्था
निवासी ग्राम माचल, तहसील देपालपुर
जिला इन्दौर

श्री सेजयकुमार कामरेड
प्रार्थी अभिभाषक द्वारा दिनांक 22/11/14
को प्रस्तुत
बसोबस

२- पन्नालाल पिता रामकिशन
उम्र ७० वर्ष, धन्धा वृद्धावस्था
निवासी ग्राम माचल, तहसील देपालपुर
जिला इन्दौर

Bin 12 81401
25/11/2014
19/11/14

३- श्रीमती कान्ता पति स्व० श्री ओमप्रकाश
अग्रवाल, निवासी ६६, मल्हारगंज मेनरोड
इन्दौर

४- श्री नन्दकिशोर पिता श्री भूरालालजी
अग्रवाल 16 79 22/11/14 गल बका 15/11/14

५- पटवारी, ग्राम माचल हल्का नं०
तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर -- प्रतिप्राथी

निगरानी धारा ५० मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता के अन्तर्गत

विठ्ठदान अतिरिक्त तहसीलदार, टप्पा बेटमा, तहसील
देपालपुर, जिला इन्दौर ठदारा नामान्तरण प्रकरण क्र० /अ-६/
२०१२-१३ आदेश दिनांक ०६/०५/२०१४ से असन्तुष्ट हो यह निगरानी
निम्न एवम् अन्य आधारों पर सादर प्रस्तुत है :-

संदिग्ध तथ्य

23-8-14

10/11/14



... १-२ मगे पाई होकर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 2809-पीबीआर/2014

जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-11-2015	<p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया था । अतिरिक्त तहसीलदार टप्पा बेटमा तहसील देपालपुर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9-5-2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष के साथ कि आपत्तिकर्ता रिकार्ड्ड भूमिस्वामी नहीं है, इसलिये वह हितबद्ध पक्षकार नहीं है, आवेदक का व्यवहार प्रकिया साँहिता के आदेश 7 नियम 10 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी बलहीन एवं आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है ।</p> <p></p> <p style="text-align: right;"> (मनोज गायल) अध्यक्ष</p>	